न्यायालय उपखण्ड बस्सी, जयपुर, राजस्थान।
भगवानसहाय बनाम ग्रा०प० मोहनपुरा व अन्य

05/2021 आज्ञा विस्तृत रूप से अपील धारा 75 विशेष विवरण

14/02/2022 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी हाजिर। मूल नामान्तरण प्रपत्र को चुका की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम पर अपीलार्थी को सुना गया। दौराने बहस जाहिर तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार देरी के कारणों को समुचित मानते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। नामान्तरण अपील पर बहस सुनी गई। अपीलार्थी ने दौराने बहस जाहिर किया कि अपीलार्थी को अपीलाधीन आक्षे नामान्तरण आदेश में सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है जिसमें उनका नाम बाबूलाल पुत्र कल्याण दर्ज कर दिया गया है। जबकि अपीलार्थी का वास्तविक नाम भगवान सहाय पुत्र कल्याण सहाय है। जिसके

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से...
		प्रमाण में अपीलार्थी ने विभिन्न दस्तावेज भी पेश किये हैं। दौरान बहस जाहिर तथ्यों, मूल नामान्तरण तथा पत्रावली पर उपलब्ध अन्य रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारक न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित कर प्रक्रियात्मक त्रुटि की है। अतः मूल आवेदक न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि पुनः अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जाता है। तहरीर से मूल नामान्तरण तहसीलदार साहब को वापिस

फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुदा होकर नम्बर से कम हो

(हस्ताक्षर)

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)